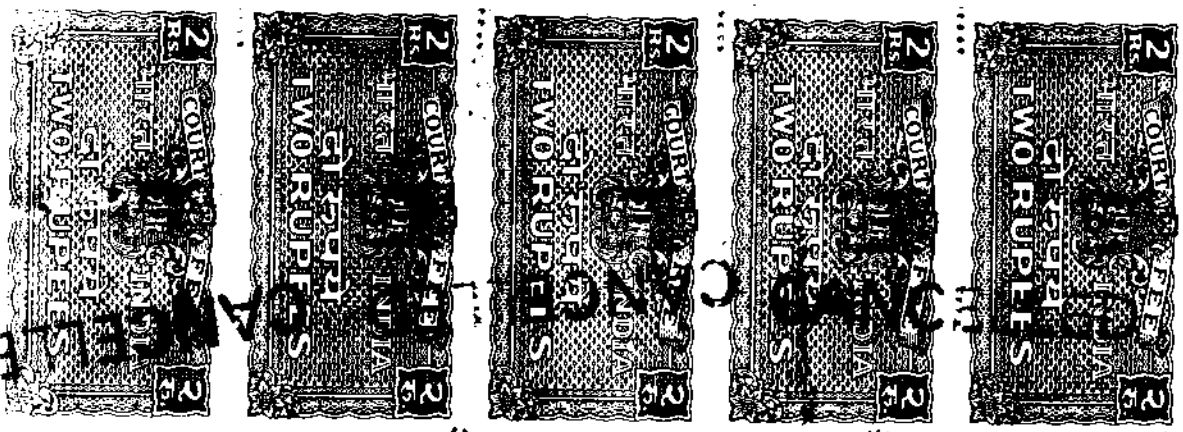

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म. प्र.) Pg 32

प्र क. / 07 निगरानी

प्र०क्र० 1234-I/07

रघुवीर सिंह पुत्र श्री मान सिंह यादव उम्र 65 वर्ष, व्यवसाय– किसानी निवासी ग्राम कुसुवन परगना कोलारस जिला शिवपुरी (म. प्र.)

निगरानीकर्ता

वनाम

इन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा सिंह यादव ग्राम कुसुवन परगना कोलारस जिला शिवपुरी (म. प्र.)

रेस्पोन्डेन्ट

आज दि० 23-7-07 को प्रस्तुत।
रीडर
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता जो माननीय अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.07 से दुखित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :–

(1) यहकि प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेण्ट इन्द्रभान सिंह पुत्र राजा सिंह एवं शिवनंदन सिंह पुत्र राजा सिंह यादव निवासी ग्राम कुसुवन द्वारा अपर तहसीलदार रन्नौद के न्यायालय में म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया गया आवेदन में उल्लेख किया गया कि आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 1117 रकवा 0.32 ग्राम कुसुवन में स्थित है इस भूमि पर सर्वे कमांक 1133 एवं 1134 के बीच में खेत पर हमेशा से आता जाता रहा है तथा रास्ता रुढिगत होना बताया गया। सर्वे कमांक 1133 एवं 1134 मरघट तथा गोठान भूमि है इन सर्वे नम्बर की भूमि पर अपीलान्ट आवेदक द्वारा फसल बोकर अतिकमण कर लिया है । अनावेदक आवेदक को अब इस भूमि पर से अपने खेत पर नही आने जाने देता है आवेदक इन्द्रभान सिंह का मकान भी सर्वे कमांक 1117 में बना है आवेदन में यह दर्शाया है कि अनावेदक ने सर्वे कमांक 1133 एवं 1134 की तार फेंसिंग भी कर ली है जिससे आवेदक का रास्ता अवरुद्व हो गया है तथा आवेदक ने अपने खेत में आने जाने के लिये रास्ता चाहा गया है तथा अनावेदक ने जो कि शासकीय भूमि है उस पर अतिकमण कर रखा है । जिसकी तार फेंसिग हटाये जाने बावत उल्लेख किया है अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन की पुष्टि बावत ग्राम वासियन का

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1234/I/07 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.8.16	आवेदक अभि. श्री एस०के० शर्मा अनुपस्थित। अनेक बार आवाज लगायी गई। पक्ष कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण वर्ष 2007 से लंबित है। अतः उक्त प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। प्रकरण रिकार्ड दाखिल हो। (हस्ताक्षर)	